

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024.

दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक-
विकल्प पत्र

- | | | |
|---|---|--|
| 1. नाम | - | अरविन्द मिश्र (ARVIND MISRA) |
| 2. वर्तमान पदनाम | - | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर। |
| 3. वेतनमान | - | J-5(144840-194660) |
| 4. वर्तमान विभाग का नाम | - | माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन नियुक्त न्यायिक अधिकारी/नियुक्ति विभाग (अनुभाग-4) |
| 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम | - | लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद |
| 6. विज्ञापित की तिथि | - | 15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003) |
| 7. विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि | - | 26.05.2006 { उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति (अनुभाग-4) सं०-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी. सी.-1) एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-1042/DR(S)/2006, Dated- 13.06.2006 } |
| 8. योगदान की तिथि | - | 15.06.2006 |
| 9. जन्म तिथि | - | 29.03.1976 |
| 10. सेवानिवृत्ति की तिथि | - | 31.03.2036 |

मैं अरविन्द मिश्र पुत्र स्व० श्री जगदीश्वर मिश्र, शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम- अरविन्द मिश्र

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर (ID No.UP6263)**घोषणा-पत्र**

मैं श्री अरविन्द मिश्र, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम- अरविन्द मिश्र

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर (ID No.UP6263)**सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा**

श्री अरविन्द मिश्र, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नई पेंशन योजना (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।



कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति 06/08/2024

DISTRICT JUDGE
GHAZIPUR